संख्या:93/2024/500जे0/22-5-2024-43एचआरसी/2019

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5 **लखनऊ: दिनांक 08 अगस्त, 2024**

विषय- जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी दयाराम पुत्र श्री छोटन सिंह की दिनांक 29-01-2019 को हुई मृत्यु के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-19594/मा0अनु0-(6)/45/2019, दिनांक 01-07-2024 के सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सिद्धदोष बंदी दयाराम पुत्र श्री छोटन सिंह के मृत्यु प्रकरण में कारागार प्रशासन की कोई लापरवाही परिलक्षित न होने के दृष्टिगत वसूली से छूट प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा० आयोग द्वारा अपनी संस्तुति दिनांक 03.05.2024 में निम्नवत निर्देश दिये गये है:-

"The Commission has considered the report. In its reply the authorities have admitted that the deceased was being provided indoor treatment based on his information and symptoms. But what the Medical Expert did observed was the fact that the deceased was only provided with symptomatic treatment and efforts to diagnose the disease was not adequate. The deceased was a patient of Type-II DM but investigations done to monitor blood sugar was rarely advised. Hence, the Commission moved ahead in issuing the show cause-based finding that the deceased had not been provided with adequate treatment in Prison, when alive. The report submitted by the Prison Department had nowhere presented any evidence that could refute the findings by the Medical Expert (Sr. Doctor & Prof. from Safdarjung Hospital, Delhi) on the panel of the Commission.

Hence, the Commission deduces that there was an act of negligence portrayed by the Jail administration wherein they failed to provide adequate treatment to the deceased prisoner and that gradually led to aggravating the complications associated with the diseases he already had and his subsequent death. The negligence by state is apparent from the provided medical treatment records of the victim. The Commission therefore, affirms the recommendations issued in the show cause dtd 06.02.2024.

Let directions be issued to the Chief Secretary, Govt of Uttar Pradesh to approve, release and disburse Rs. 5 lacs to the NOK of the deceased prisoner Lt. Dayaram s/o Chottan Singh r/o Mataina, PS Hasanpur, Amroha, U.P."

मा0 आयोग द्वारा प्रदत्त उक्त निर्देशों के दृष्टिगत प्रश्नगत मामले में वसूली से छूट दिया जाना सम्भव नहीं है।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया द्वारा जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी दयाराम पुत्र श्री छोटन सिंह की दिनांक 29-01-2019 को हुई मृत्यु प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली के केस संख्या-4254/24/31/2019-जे0सी0डी0, दिनांक 03.05.2024 में की गयी संस्तुति एवं दिये गये निर्देशों के अनुपालन में मृतक बंदी के आश्रितों/निकटस्थ परिजनों को धनराशि रू0 5,00,000/- (रू० पॉच लाख मात्र) के मुआवजा भुगतान की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि मुआवजे के समतुल्य धनराशि दोषी अधिकारियों/कार्मिकों से वसूल कर राजकोष में जमा की जायेगी। 2--

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उक्त के निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2024-2025 के आय व्यय के अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक-2056 राजस्व लेखा के 101-03 समस्त कारागार के मानक मद संख्या-42 अन्य व्यय (मतदेय) के नामें डाला जायेगा तथा उपलब्ध बजट प्राविधान से वहन किया जायेगा।

5- उक्त धनराशि का भुगतान/उपयोग मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रश्नगत केस में पारित आदेश दिनांक 03.05.2024 में विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

6- प्रश्नगत प्रकरण में वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासन के संगत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा जहां आवश्यक हो, वहॉ सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

7- उक्त धनराशि का भुगतान सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से यथाशीघ्र मृतक के आश्रितों को कराते हुए उसकी पुष्टिकृत सूचना मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग/शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ए-2-36/दस-2016, दिनांक 16 मार्च, 2016 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शिव गोपाल सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या:93/2024/500जे0(1)/22-5-2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सहायक निबन्धक (विधि), मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, सी-ब्लाक, जी0पीओ0 कम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली -110023 ।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

3- जिलाधिकारी, गाजियाबाद ।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि का भुगतान मृतक बंदी के आश्रितों/निकटस्थ उत्तराधिकारियों को तत्काल कराते हुये भुगतान का साक्ष्य/पुष्टिकृत सूचना मा0 आयोग/शासन को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5- उप महानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रकरण में अंश निर्धारण के सम्बन्ध में तत्काल अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

6- कोषाधिकारी, गाजियाबाद।

7- अनुसचिव, गृह(मानवाधिकार) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।

9- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को सूचनार्थ।

10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अभय कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in